

फर्द अहकाम

(नियम 26)

लत

सहायक कलक्टर
बायत

मुकाम

दूदराम

वनाम

शेराराम वगैर

केसम मुकदमा नं. 88,53,188 RTAET

96/16

सन् 20/6

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यावाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/08/16	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>खेताराम जायस</u> ने यह प्रार्थना-पत्र/वाद/अपील धारा <u>88,53,188 RTAET</u> राजस्थान काश्तकारी/ भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>18/10/16</u> को पेश हो।</p>	
18/10/16	<p>वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील मय तामिल अप्रप्त। सम्मन पीठाधीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। अतः मिकाल ईलवका घेडा सम्मनी दिनांक <u>27/12/16</u> को पेश हो।</p>	
9.6.2020	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई, आधीबिहा केसम जी का कहना है कि वादी द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है। Not Press से पत्रावली में धारित-वाद खारिज किया जाता है। COVID-19 के कारण रेस्टोरेशन नवीनवाद बानिके खर्च होय होगा निर्णय सुनाया गया नम्बर से पत्रावली हो।</p> <p><u>खेताराम</u> 9.6.2020</p>	

